

# तथ्य

बना किसी की मर्जी के उसकी नज़ी तसवीरें शेयर करना या ऐसा करने की धमकी देना, यह एक प्रकार का चतिर संबंधी यौन उत्पीड़न है, और यह आयरलैंड में गैरकानूनी गैरकानूनी है।



*उत्पीड़न, हानिकारक संचार एवं संबंधति अपराध अधिनियम 2020*

बातचीत में शामिल हों @ACTIVECONSENT



ACTIVE\*  
CONSENT